

सामाजिक विश्लेषण

(नागरिक शास्त्र)

अध्याय-6: नगर प्रशासन



नगर निगम

नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं इसके तीन प्राधिकरण हैं परिषद स्थार्ड समिति आयुक्त इसके अंतर्गत चुंगी कर ग्रह कर मनोरंजन का कर आते हैं यह महानगरों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है और जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख या उससे ज्यादा हो वहां यह पाए जाते हैं।

गाँव के मुकाबले शहर काफी बड़ा होता है। शहर की आबादी अधिक होती है इसलिए वहाँ जन सुविधाएँ भी अधिक होती हैं। लोगों का जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सबकी सही ढंग से देखभाल की जरूरत होती है। शहरों में जन सुविधाएँ देने का काम नगर पालिका का होता है।

पार्षद – नगर निगम प्रशासन शहर को अलग-अलग भागों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है पार्षद मिलकर।

समितियां बनाते हैं जो डिटेल निर्णय लेती हैं नगर निगम के सदस्य को पार्षद बोलते हैं तथा इसका चुनाव आम निर्वाचन के आधार पर होता है।

न्यूनतम आयु 21 वर्ष

मेयर के लिए आयु 30 आवश्यक है।

तीनों स्तर का गठन 5 वर्ष के लिए होता है और भंग की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव करना आवश्यक है।

- SC/ST जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण
- महिला के लिए 33% न्यूनतम आरक्षण
- OBC राज्य विधान मंडल के अनुसार आरक्षण

अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है और उपाध्यक्ष सदस्य खुद चुनते हैं।



नगर पालिका

यह एक चुनी हुई संस्था है। नगरपालिका का कार्यकाल पाँच साल का होता है। छोटे शहरों में इसे नगरपालिका ही कहते हैं, लेकिन बड़े शहर में इसे नगर निगम कहते हैं। यह भी एक प्रशासनिक इकाई होती है यह एक शहर कस्बे या गांव या उनमें से छोटे समूह रूप में होती है।

- यह नगरपालिका भारत में मुख्य रूप से शहर के रूप में जाना जाता है।
- इसमें जनसंख्या 20000 से अधिक होती है किंतु यह महानगर नहीं होते हैं।



वार्ड: हर नगरपालिका को छोटी इकाइयों में बाँटा जाता है जिन्हें वार्ड कहते हैं।

वार्ड पार्षद: हर वार्ड के लोग अपना एक पार्षद चुनते हैं, जिसे वार्ड काउंसिलर भी कहते हैं। सभी वार्ड पार्षद अपने में से ही एक चेयरमैन चुनते हैं।

विभाग: नगरपालिका के काम को सही ढंग से चलाने के लिए कई विभागों की जरूरत पड़ती है। इनके कुछ उदाहरण हैं: सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण, आदि।

सफाई विभाग का काम शहर में साफ सफाई रखना है। नालियों की सफाई और कचरे का निबटारा इसी विभाग की जिम्मेदारी है।

नगर पंचायत (नगरपालिका बोर्ड)

संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए 74वें संविधान संशोधन में “नगर पंचायत” के गठन का प्रावधान किया गया था किन्तु राजस्थान राज्य में प्रदेश में सबसे छोटे कस्बों अथवा संक्रमणकालीन क्षेत्रों में नगर पंचायत गठित न कर नगरपालिका बोर्ड, श्रेणी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ गठित किए हैं।

इसमें पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मनोनीत पार्षद तथा अधिशाषी अधिकारी शामिल होते हैं।

नगर परिषद की भाँति ही नगरपालिका बोर्ड में भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक परिषद् बोर्ड होती है जो निर्वाचन के बाद अपने में से ही एक सदस्य का अध्यक्ष के रूप में चुनाव करती है।



नगरपालिका बोर्ड ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे जिनमें जनसंख्या 1 लाख से कम हो।

इन्हें संख्या के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है-

- 1) नगरपालिका बोर्ड द्वितीय श्रेणी – 50 हजार से 1 लाख
 - 2) नगरपालिका बोर्ड तृतीय श्रेणी – 25 हजार से 50 हजार
 - 3) नगरपालिका बोर्ड चतुर्थ श्रेणी – 25 हजार से कम जनसंख्या।
1. तीनों संस्थाओं में कोई पदेन सदस्य नहीं होता है।
 2. राज्य सरकार प्रत्येक नगर निगम में 6, प्रत्येक नगर परिषद् में 5 तथा नगर पंचायत में 4 सदस्यों का मनोनीत करती है।
 3. मनोनीत पार्षदों को भी मत देने का अधिकार होता है लेकिन अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के चुनाव तथा उनके विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है।
 4. मनोनीत पार्षद के लिये यह आवश्यक है कि वह संबंधित नगरपालिका का मतदाता हो।
 5. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 के तहत 1994 से 2009 तक इन तीनों संस्थाओं के अध्यक्षों को चुनाव पार्षदों द्वारा अपने में से होता था (अप्रत्यक्ष रूप से) लेकिन 2009 के नये कानून से इन तीनों संस्थाओं के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप किये जाने का प्रावधान किया गया।
 6. वर्ष 2015 से यह व्यवस्था समाप्त कर तीनों संस्थाएँ के अध्यक्षों का चुनाव पुनः अप्रत्यक्ष रूप से करना प्रारम्भ किया गया है।
 7. तीन संस्थाओं की बैठक 60 दिनों में एक बार अनिवार्य है।
 8. इन तीन संस्थाओं की गणपूर्ति $1/3$ होती है।
 9. अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पंचायती राज संस्थाओं के भाँति ही है।
 10. तीनों संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पार्षद अपना इस्तीफा जिलाधीश को देते हैं।

NCERT SOLUTIONS

प्रश्न (पृष्ठ संख्या 72)

प्रश्न 1 बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए ?

उत्तर – बच्चे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि गली की ट्यूबलाईट कौन बदलता है? चूँकि एक बच्चे की माँ से सभी को पता चला कि ये नगर निगम कि जिम्मेदारी होती है। पहले यास्मीन खाला नगर पालिका में काम करती थी, इसलिए सभी बच्चे यास्मीन खाला से मिलने उसके घर गए।

प्रश्न 2 नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं? ऐसे चार तरीकों के बारे में लिखिए।

उत्तर – नगर निगम के कार्य निम्नलिखित हैं:

- घरों और बाजार से कचरा जमा करना और उसका निबटारा करना, इससे सड़कें और गली साफ सुथरी रहती हैं।
- नलियों को साफ करना, इससे शहर साफ रहता है।
- मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए काम करना, इससे लोगों के स्वास्थ्य को लाभ मिलता है।
- शुद्ध और पौष्टिक पानी की आपूर्ति करना
- जन्म व मृत्यु का पंजीकरण करना
- सड़कों का नामकरण एवं मकानों का क्रमांकन
- सार्वजनिक पार्कों, बागीचों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, आराम घर, कुष्ठरोगी घर, अनाथालयों, महिलाओं के लिए वृद्धाश्रमों व बचाव घरों का निर्माण एवं रखरखाव करना
- सड़क के रखरखाव के साथ उसके किनारों व अन्य स्थानों पर पेड़ों का रोपण करना
- सार्वजनिक गलियों, पुलों एवं अन्य स्थानों पर अवरोधों को दूर करना
- नगर निगम के उपरोक्त कार्य से शहर के निवासियों का जीवन आसान हो जाता है।

प्रश्न 3 नगर निगम पार्षद कौन होता है ?

उत्तर – प्रत्येक शहर को छोटे-छोटे नगर / मोहल्लों और वार्ड में विभाजित किया जाता हैं। प्रत्येक वार्ड के प्रतिनिधि को नगर निगम पार्षद या वार्ड काउंसिलर कहा जाता हैं। नगर निगम पार्षद को सीधे उस वार्ड की जनता द्वारा चुना जाता हैं। पार्षद को उस वार्ड से सम्बद्धित सभी समस्यों को नगर पालिका या नगर परिषद् में पेश करता हैं, जिसके उपरांत परिषद् द्वारा बजट पास करके उस समस्या का समाधान किया जाता हैं।

प्रश्न 4 गंगाबाई ने क्या किया और क्यों?

उत्तर – गंगाबाई के मुहल्ले की गली से नियमित रूप से कचरे उठाने की व्यवस्था नहीं थी। जिससे गंदगी और बदबू से सभी लोग परेशान थे। इसलिए गंगाबाई ने मुहल्ले की सभी औरतों के साथ मिलकर पहले पार्षद के सामने फिर आयुक्त के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

प्रश्न 5 नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है?

उत्तर – नगर निगम अपने काम के लिए विभिन्न तरह के कर जैसे- संपत्ति कर, मनोरंजन कर, दुकान और होटल पर कर, पानी पर कर, आदि से धन इकट्ठा करता है। सरकार से भी कुछ राशि की सहायता मिलती है।